उमेश सैंगल

मदस्य सचिव

प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिवाद् ने अपने सदस्यता रिजस्टर में सं श्री अतुल केशव टिप्पणीस (सदस्याा एक्या 007833), फायनामसीयल जडवाइजिए, सिटी इण्डस्ट्रीयल डोबलपर्मेन्ट कार्पिरोशन आफ सहाराष्ट्र लि., सिडकी भवन, सी. वी. डी. बेलापुर, त्यू बाम्बे-400614 का नाम दिनांक 9-12-1991 से हटा दिया गया है।

> के. आर. ए. एन. आधर अतिरिक्त समिव

उडक्ल्यूसीए(5) 1/96-97—इस संस्थान की अधिसूचना नं. उडक्ल्यूसीए(4)/96-97 विनांक 19-12-1996 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अन-सरण में एतद्द्वारा यह सूचित्त किया जाता है कि उक्त नियमों को विनियम 19 द्वारा प्रदन्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रिजस्टर में श्री ए. क. टिप्पणीस (मदस्यता संस्था 007833) फायनान्सीयल अडवायजर, सिटी इण्डस्ट्रीयल डोबलपमेन्ट कार्पर्रान आफ महाराष्ट्र लि . सिडकी भवन, न्यू बाम्बे-100614 को नाम दिसांक 8-6-1995 से स्थापित कर विया गया है।

के. आर. ए. एन. आयर अतिरिक्त मध्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई बिल्मी, दिमांक S जन**ब**री 1997

सं० के-14011/13/85 रा० रा० को० यो० वो०---राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड प्रधिनयम 1985 (1985) के धनुभाग दो के द्वारा घषिकार प्रयोग का प्रधिकार प्रयान किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना वोर्ड के द्वारा प्रगला संगोधन परिपक्ष सं० के-14011/13/85-रा० रा० थे० यो० बोर्ड दिनांक 10-8-85 जिससे प्रनुभाग 22(2) (0) के प्राइटम (111) के तहत कम सं० 622, और 26 विविध नियमों के तहत विभाग के प्रध्यक्ष होने के नाते सवस्य सचिय रा० रा० क्षे० यो० बोर्ड को वित्तीय प्रधिकार मीपा गया है। उपर्युक्त परिपक्ष को परिस्थितियश प्रावण्यकता प्रमुसार समय-समय पर परिपत्न विनांक 14-12-1987 और 4-7-1991 सदस्य मिन्नक के वित्तीय प्रधिकार में वृद्धि के लिये संगोधित किया गया है जो रा० रा० क्षे० यो० बोर्ड की बैटक दिनांक 19-8-1946 में धनुमीदित हो चुका है।

में बोर्ड द्वारा धन्मोदन की तिथि से ही प्रभावी माना जायेगा।

श्रव तक प्रभावा उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे :--

मद	वर्तमान सीमाए	प्रतिस्थापित सीमाएं
1	2 ,	
(i) मोटर बाहनों का निस्तारण		डी० एफ० पी० श्रार० में प्रनु ब ळ शर्नी पर पूर्ण अधिकार।
27 भंडारण के मूख्यों के श्रवमूल्यन/कमी (मीटर बाहन के श्रतिरिक्त भण्डार और भ्रम्य खाते)	2500) रुपये प्रत्येक केस मे	व ही

1	-	3
नारिमों को भोजन व ठहरने के लिए या द्या भत्ता और	भ्रमण के दोरान विणेष केस के प्रधिकारियों/ कमचारियों को निर्धारित सरकारी नियमों में इस्ते खाने का बास्त- यिक खर्च की प्रतिपृति करने का पूर्ण श्रीधकार।	समण के दौरान प्रिष्टिकारियों / कर्म गरियों प्रथम स्वयंक् ग्रहनं खाने के बास्तविष खर्च की प्रतिपूर्ति करने व पूर्ण प्रक्षिकार जो विशेष केम में जो हहकों के मन्त्रशंत हो ।
2.७ ऑगिका लिक	25000/ रुपये प्रत्येक केस म	100000/रुपये प्रस्यव केस में
मस्ताहकारों। विशेषकों की नियुगित। 	 नोक । जुलाई, 1991	कमसं० 6 के धाओन
विभोषकों की नियुगित । उपर्युक्त परिपक्ष कि (ए) (की) प्रध्ययन और पर गिम्नाशिखित प्रतिस्थापित	नोक । जुलाई, 1991 सर्वेक्षण का अधिकार, ट ा किए जायेंगे	कम सं० 6 के धानीन वर्षमान व्यवस्था के स्थान
विभोषकों की नियंगित । उपर्युक्त परिपक्ष कि (ए) (क्री) ग्रध्ययन और	नोक । जुलाई, 1991 सर्वेक्षण का अधिकार, ट	कमसं० 6 के धाओन
विभोषकों की नियुगित । उपर्युक्त परिपक्ष कि (ए) (की) प्रध्ययन और पर गिम्नाशिखित प्रतिस्थापित	नोक । जुलाई, 1991 सर्वेक्षण का अधिकार, ट ा किए जायेंगे	कम सं० 6 के धानीन वर्षमान व्यवस्था के स्थान
विभोधकों की नियुधित। उपर्युक्त परिपन्न विर (ए) (की) प्रध्ययन और पर किन्निलित प्रतिस्थापित मव	नोक : जुलाई, 1991 सर्वेक्षण का अधिकार, व । किए जायेंगे वर्तमान अधिकार	कम सं० 6 के धाधीन विभाग व्यवस्था के स्थान संगोधित धाधकार 3
विभोषकों की नियुगित । उपर्युक्त परिपक्ष कि (ए) (की) प्रध्ययन और पर गिम्निसिखित प्रतिस्थापित मेव	नोक : जुलाई, 1991 सर्वेक्षण का अधिकार, ट ा किए जायेंगे थर्नमान अधिकार	कम सं० 6 के ध्रधीन क्षमान व्यवस्था के स्थाः संगोधित अधिकार

क्षावनी गरिपद

जालन्धर छावन्।, दिनाक 24 दिसम्बर 1996

म. एस. आर. थे. जे. ती. वी./बुंगी/4779/सी.—
जालन्धर छावनी क चुंगा अधिनियमों में भारत सरकार के रक्षा
मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कर्ट एक्ट 1924 में प्रदत्त अक्तियों का
प्रयोग करते हुए निम्निलिखित क्षेत्र की जाती है । जिक्कि
आपितया तथा सुमाव आमित्रत करने हुत्तु एक्ट की धारा 234
की उपभाग (2) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशिल किए
जा चुके हैं जो यथा अपेकित प्रकाशित किए गए थे कोई भी
आपित या सुभाव छावनी परिषद को प्राप्त नहीं हुए और उन्हें
सारकार दी जा चुकी है जिनकी पृष्टि की जा चुकी है वह इस
प्रकार ही।

three months, his name shall stand removed from the Register of Members for a period of three months with effect from 1st March, 1997.

ASHOK HALDIA Secretary

(DECENTRALISED SECTION)

Kanpur-208 001, the 4th February 1997

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No.3-CCA(8)/(3)/96-97—In pursuance of Regulation 10(1) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1983, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled w.e.f. the date manthoned against their names, as they do not desire to hold their certificate of practice.

S. No.	M. No	o. Name & Address	Date
1,	71663	Mr. Arvind Komar Garg, FCA 3675-B Navrang Colony Road Trinagar New Delhi 110 055	05-10-96
2,	74908	Mr. Lalit Kumar Jalu, ACA 17 Sikh Mohalla Indore.	03-09-96
3.	75221	Mr. Mancesh Mehta, ACA C/o Dr. B.S. Mehta 7, Old Palasia, Behind SBI Indore.	29-08-9 6

ASHOK HALDIA, Secy

Mumbai-400005, the 19th December 1996

No. 3WCA(4)1/96-97.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (c) of the sub-section 20 of the chartered Accountants Accountants of India, has removed the name of Shri Atul Keshav Tipnis (M. No. 007833), Financial Advisor, City Industrial Development Corporation of Maharashtra Ltd., CIDCO Bhuvan, CBD Belapur, New Bombay-400 614 with effect from 9-12-1991.

K.R.A.N. IYER Addl. Secretary

No. 3WCA(5)1/96-97.—With reference to the Institute Notification No. 3WCA(4)1/96-97 dated 19-12-1996, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the power conferred by Regulation 19 of the said Regulation the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members the name of Shri A K. Tipnis (M. No. 007833), Financial Advisor, City Ind. Development Corp. of Maharashtra Itd., CIDCO Bhuvan, New Bombay-400614, w.e.f. 8-6-95.

K.R.A.N. IYER Addl, Secretary

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

New Delhi, the 9th January, 1997

No. K-14011/13/85-NCRPB—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) National Capital Region Planning Board hereby further amends Notification No. K-14011/13/85-NCRPB dated 10-8-1985 whereby financial powers were delegated to the Member Secretary of the Board

under Section 22(2)(a) under item III serial No. 6, 22 and 26, by virtue of his being Head of the Department under various Rules. The above said notification has been amended from time to time in the exigencies of the situation by Notifications 14-12-1987 and 4th July, 1991 leading to this amendment for enhancing the financial powers of the Member Secretary, which have been approved in the meeting dated 19-8-1996 of the National Capital Region Planning Board.

These shall be deemed to have come into force with effect from the date of their approval by the Board i.e. 19-8-1996.

The following shall be substituted against the existing provisions;—

Item	Existing limits	Substituted limits
6(i) (Condemnation of Motor vehicles)	-	Full powers subject to the conditions stipulated in DFPR
27 Deficiencies & depreciations in the value of stores (other than motor vehicles included in stock & other accounts)	Rs. 2500/- in each case	Do.
22(iii) (Payment of TA/DA of boarding lodg- ing for officers/ employees/ working in the Board while on tour)	reimbursement of act al expenditure of boarding/ lodging for officers/employees while on tour in special cases subject to ceiling as prescribed in Govt. rules—full powers.	reimbursement of actual expenditure of boarding/lodging for officers omployees self while on tour in special cases subject to ceilings prescribed under HUDCO rules & Procedure—full powers.
26. (Appointment of part-time Advisors/ Experts)	Rs. 25,000/- in each case	Rs. 1,00,000/- in each case

In the above-mentioned notification dated 4th luly, 1991, under serial No. 6(a) sanctioning of projects (b) commissioning of studies & surveys, the following shall be substituted against the existing provisions:—

Item	Existing powers	Amended powers
Sanctioning of project plans	upto Rs. 100 Lakhs in each case.	upto Rs. 500 lakhs in each case.
Conducting studies/ surveys	upto Rs. 5.00 lakhs in each case	upto Rs. 10.00 lakhs in each case

OMESH SA!GAL Member Secretary